



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
20/06/2022	<p align="center"><b>प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</b></p> <p align="center"><b>एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 30/2017</b></p> <p align="center"><b>कोका राम बनाम् बहादुर मुण्डा</b></p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या-45-R15/2013-14 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में मौजा-सामलौंग, ग्राम-भूर्इयाटोली, प्लॉट-286, खाता नम्बर-59 के 1 कट्ठा भूमि का विषय सन्निहित है।</p> <p>इस वाद में लगातार नोटिस देने के पश्चात् भी विपक्षी न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुये। उन्हें रजिस्टर डाक से भी नोटिस प्रेषित किया गया। अंततः विषय की एक पक्षीय सुनवाई की गयी एवं उभयपक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु पुनः एक मौका दिया गया, किन्तु मात्र आवेदकों के तरफ से ही लिखित बहस दायर की गयी।</p> <p>आवेदकों का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उनके पिता के द्वारा वर्ष-1942 में 50/- रुपये सलामी देकर क्रय की गयी थी, जिसके पश्चात् वे उक्त भूमि पर मकान बनाकर दखलकार है। विपक्षी के पिता-फगरू मुण्डा के द्वारा वर्ष-2009 में भूमि वापसी का आवेदन दायर किया गया, जिसमें विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया। प्रश्नगत भूमि वापसी का दावा 67 वर्षों के विलम्ब से दायर किया गया था, अतः यह स्पष्टतः कालबाधित था। अपीलीय न्यायालय में विपक्षियों के द्वारा समझौता पत्र भी प्रस्तुत किया गया एवं उक्त भूमि से अपने दावे को समाप्त घोषित भी किया गया। इसके पश्चात् भी अपीलीय न्यायालय द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया, जिसके पश्चात् यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।</p> <p>मूलतः भूमि वापसी वाद संख्या-49/2009-10 में विवादित भूमि की वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया गया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सादा बिक्री पत्र की कोई कानूनन मान्यता नहीं है एवं आवेदक वर्ष-1969 के पूर्व प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार के</p>	

*W9*

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>समुचित निर्माण होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। अपीलीय न्यायालय में विपक्षियों की तरफ से एक समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया गया है। इस न्यायालय में लगातार नोटिस प्रेषण के पश्चात् भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुये। आवेदकों के तरफ से यह भी कहा गया कि वे गरीब हरिजन समुदाय से आते है तथा मात्र एक कट्ठा भूमि के लिये क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के लिये तैयार है।</p> <p>यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा आदिवासी रैयती भूमि पर दखल करते हुये मकान का निर्माण किया गया है। आवेदकों के तरफ से दायर Municipal रसीद वर्ष-2021 की है। Schedule Area Regulation-1969 के लागू होने के पूर्व किसी प्रकार के निर्माण होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विपक्षी द्वारा अपीलीय न्यायालय में एक समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है प्रश्नगत भूमि के लिये उन्हें समुचित मुआवजा प्राप्त हो चुका है, इसलिये वे उक्त भूमि पर अपना अधिकार छोड़ने के लिये तैयार है। संभवतः इसी कारण इस न्यायालय में विपक्षी उपस्थित नहीं हुये है। विचारणीय है कि आदिवासी रैयत द्वारा बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये भूमि का हस्तांतरण किया जाना वैधानिक नहीं है। आदिवासी रैयत को सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये बगैर अपने भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। ऐसे स्थिति में न्यायालयीन प्रक्रियाओं के माध्यम से उक्त भूमि पर उभयपक्षों के बीच किये गये समझौते को कानूनन मान्यता दिया जाना समिचीन नहीं है। आवेदकों के पास प्रश्नगत भूमि के वर्ष-1942 से हस्तांतरण किये जाने के संबंध में मात्र एक सादा कागजात के अतिरिक्त कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। आवेदक एवं विपक्षी आपसी समझौता एवं अन्य कार्रवाई हेतु स्वतंत्र है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">                       प्रमण्डलीय आयुक्त                 </p> <p style="text-align: left;">                       प्रमण्डलीय आयुक्त                 </p>	